


Date: 23 SEP 2022



प्रपत्र-ख  
शपथ-पत्र

मैं, यशोवन्त कुमार पिता/पत्नी श. आनंद कुमार केसरी  
उम्र 52 वर्ष, \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 03  
मोहल्ला ब्रह्मपुरा, पोस्ट मना, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर  
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 03 के \*पार्षद, \*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 03 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

यशोवन्त कुमार  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - रमेश कुमार  
नाम- रमेश कुमार  
पता- पारसनाथपथ, वार्ड-03  
ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर।

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर यशोवन्त कुमार  
नाम- यशोवन्त कुमार  
पता- ब्रह्मपुरा, पाल्ना, पंच, थाना  
ब्रह्मपुरा जिला मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर Affirmed & declared before

दिनांक : 23.9.22 ABHAY KUMAR SINGH  
Notary (Registered)

लगातार .....

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

Sanyukt Kumar  
23/9/22

पालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा  
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुम्बई जिला के \*नगर निर्माण/\*नगर परिषद/\*नगर प्रंचायत मुम्बई

के वार्ड संख्या 03 से \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- प्रभात कुमार

पिता/पति का नाम- स्व. अनिरुद्ध लाल केसरी

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये-

शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या-

शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-

शून्य

(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

शून्य

(iv) दिया गया दण्ड-

शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो-

शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि-

शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-

शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया-

शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है-

शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि-

शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-

शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया-

शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-

शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों-

शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या-

शून्य

शून्य

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर जैसे किसी लंबित में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- *शून्य*
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- *शून्य*
- (iii) अपराध संख्या *शून्य*
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- *शून्य*
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- *शून्य*

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- *शून्य*
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- *शून्य*
- (iii) अपराध संख्या- *शून्य*
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- *शून्य*
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- *शून्य*

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण-

*शून्य*

*शून्य*

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :-

*शून्य*

(ii) शहरी भूमि-

*२ डिस्ट्रिक्ट*

*30,00,000 = ₹*

(iii) भवन-

*२ फ्लोर*

*15,00,000 = ₹*

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 113012.42

(ii) बैंक बैलेन्स- 13012  
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट 2002  
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- 2002  
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन 2002  
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 475-827  
(पूर्ण विवरण दें) 5000

6. \*\* (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ  
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

121,000 = 0

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

2002

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें-

मैट्रिक - मीनापुरा (उ० वि०) 1986 वर्ष  
22 (M) B.E. - जगत हिंदू मठ वि० 1988 "  
स्नातक - जगत हिंदू मठ वि० 1991 "

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- गुजरातपुर

तिथि- 23.9.22

प्रभात कुमार

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

\* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

\*\* वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने

की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।